

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-265 / 2019

सुरेंद्र कुमार राय

..... याचिकाकर्ता

बनाम

विद्या विकास समिति और अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री एच०सी० मिश्रा

याचिकाकर्ता के लिए : श्री ओम प्रकाश प्रसाद, अधिवक्ता

आई०ए० संख्या-6820 / 2019

4 / 14.02.2020 इस आवेदन को दाखिल करने में 64 दिनों की देरी की माफी के लिए यह वादकालीन आवेदन दायर किया गया है।

वादकालीन आवेदन में दिए गए बयानों के मद्देनजर, इस आवेदन को दायर में हुई देरी को एतद्द्वारा माफ किया जाता है।

पूर्वोक्त वादकालीन आवेदन की अनुमति है।

सी०एम०पी० संख्या-265 / 2019

यह आवेदन ए०सी० (एस०बी०) संख्या-07 / 2017 की अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे 20.12.2018 के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

यह याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया जाता है कि उक्त आदेश का आज से एक सप्ताह के भीतर अनुपालन कर दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के निवेदन के मद्देनजर, ए0सी0 (एस0बी0) संख्या-07/2017 को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है, इस शर्त के अधीन कि दिनांक 20.12.2018 के आदेश का अनुपालन आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर कर दिया जाएगा, विफलहोने पर यह अपील खंडपीठ के संदर्भ के बिना खारिज कर दी जाएगी।

(एच0सी0 मिश्रा, न्याया0)